फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :— लाल सिंह
किस्म मुकदमा — 128 भू.रा.अधि.
कमांक

विपक्षी :— हरि सिंह
पत्रावली संख्या : 28 / 21

कार्यवाही विवरण

दिनांक 23.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। राजसरकार उपस्थित। प्रकरण मे अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थीगण अपनी भूमि का विकास करना चाहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी के बीच सीमा संबंधी विवाद होने से पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें बताया की प्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया की विपक्षी कौन–कौन सी आराजी के पडौसी है साथ ही बताया की प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के मध्य पूर्व से ही बाड आदि बनी हुई हैं जिसे पत्थरगढी के माध्यम से किसी प्रकार का कब्जा नही छीना जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण अपनी भूमि का विकास करना चाहते हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में सशर्त पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे किसी प्रकार के कब्जे की कार्यवाही न हो। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा चेनपुरिया पटवार हल्का सारंगपुरा कानोड, तहसील कानोड जिला उदयपुर की खाता संख्या नया 52 पुरानी 5 की आराजी नम्बर 139, 140, 141, 147, 222 / 148, 154 किता 06 रकबा 6.26 हेक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 1000 / — एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं हैं। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरग[illegible]रान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी [illegible] करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:38:01 IST
Reason: SelfAttested